

**प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 09.05.2017 जनपद हमीरपुर-**

पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अशोक कुमार त्रिपाठी के निर्देशन मे जनपद हमीरपुर मे दिनांक- 08.05.2017 को कानून व्यवस्था,अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये गये अभियानो मे निम्नलिखित कार्यवाहियाँ की गयी

**अवैध तमंचे के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार-**

-दिनांक 08.05.2017 को थाना कुरारा पुलिस द्वारा अभियुक्त- सेम सिंह पुत्र मोहर सिंह निवासी बछरौली को 01अदद नाजायज SBBL गन के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध थानाहाजा मे मु0अ0स0-113/17,धारा-3/25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी।

-दिनांक 08.05.2017 को थाना जरिया पुलिस द्वारा अभियुक्त-राजेंद्र पुत्र टीका राम निवासी अतरौली थाना जरिया को 01अदद नाजायज तमंचा 315बोर, 02 अदद कारतूस 315बोर के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध थानाहाजा मे मु0अ0स0-122/17,धारा-3/25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी।

-दिनांक 08.05.2017 को थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त- रूपेंद्र पुत्र भगवन दीन निवासी बिदोखर पुरई को 01अदद नाजायज तमंचा 315बोर, 02 अदद कारतूस 315बोर के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध थानाहाजा मे मु0अ0स0-148/17,धारा-3/25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी।

**80-ली0 कच्ची शराब के साथ 06 अभियुक्त गिरफ्तार-**

-दिनांक 08.05.2017 को थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त-बिनोद पुत्र लल्लू निवासी मोहर को 01जरीकेन में 20 लीटर कच्ची शराब महुआ के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध थानाहाजा मे मु0अ0स0-147/17-,धारा-60 आबकारी अधिनियम दर्ज किया गया।

-दिनांक 08.05.2017 को थाना चिकासी पुलिस द्वारा अभियुक्त-दयाशंकर पुत्र परमलाल निवासी चुराह चिकासी को 01जरीकेन में 05 लीटर कच्ची शराब महुआ के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध थानाहाजा मे मु0अ0स0-75/17,धारा-60 आबकारी अधिनियम दर्ज किया गया।

-दिनांक 08.05.2017 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियुक्त- सैक राम पुत्र शोभा निवासी कुछेछा को 01जरीकेन में २० लीटर कच्ची शराब महुआ के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध थानाहाजा मे मु0अ0स0-159/17,धारा-60 आबकारी अधिनियम दर्ज किया गया।

-दिनांक 08.05.2017 को थाना बिवार पुलिस द्वारा अभियुक्त- जय सिंह पुत्र लुकड़या निवासी लदार बिवार को 01जरीकेन में 05 लीटर कच्ची शराब महुआ के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध थानाहाजा मे मु0अ0स0-1००/17,धारा-60 आबकारी अधिनियम दर्ज किया गया।

-दिनांक 08.05.2017 को थाना जरिया पुलिस द्वारा अभियुक्त-बिनोद पुत्र सुखनन्दन निवासी बरगवां को 01जरीकेन में 20 लीटर कच्ची शराब महुआ के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध थानाहाजा मे मु0अ0स0-123/17,धारा-60 आबकारी अधिनियम दर्ज किया गया।

-दिनांक 08.05.2017 को थानासिसोलर पुलिस द्वारा अभियुक्त- जयकरन पुत्र बंधी निवासी किशवाही को 01जरीकेन में 10 लीटर कच्ची शराब महुआ के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध थानाहाजा मे मु0अ0स0-104/17,धारा-60 आबकारी अधिनियम दर्ज किया गया।

#### **-01 वांछित गिरफ्तार-**

-दिनांक 08.05.2017 को थाना जरिया पुलिस द्वारा मु0अ0स0-105/17,धारा-366/366/506 IPC व 08 पास्को एक्ट के वांछित अभियुक्त-सुनील पुत्र भानु वय्तना थाना जरिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

#### **-01 वारंटी गिरफ्तार-**

-दिनांक 08.05.2017 को थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0स0-1548/12,धारा-379/411 IPC के वारंटी अभियुक्त- राकेश पुत्र शिवशंकर निवासी ऊँचाथोक थाना सुमेरपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

#### **प्रेस विज्ञप्ति वाहन चेक दिनांक- 09.05.2017 जनपद हमीरपुर**

जनपद हमीरपुर.... दिनांक 08.05.2017 को पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अशोक कुमार त्रिपाठी के आदेशानुसार यातायात व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपद के समस्त थानों में दो पहिया व चार पहिया वाहनो का सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान में हैलमैट,डी.एल ,वीमा, व आवश्यक कागजो का ना होना,तीन सवारी,अवैध नम्बर प्लेट,सीट बैल्ट ना लगाना,ओवरलोडिंग आदि के खिलाफ कार्यवाही की गयी ।

चेकिंग अभियान में समस्त थानों से चेक किये वाहनो में 139 वाहनो से 32,400 रु0 सम्मन शुल्क वसूला गया